अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी

बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक : 29 नवंबर, 2012

क्रमांक– 3296 –मप्रविनिआ–2012, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(जेड डी) सहपठित धारा 45 तथा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा निम्न अधिनियम बनाता है जो कि एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत के प्रभार निर्धारित किये जाने बाबत् विधियां तथा सिद्धान्त बनाता है तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से आरंभ अवधि जो दिनांक 31 मार्च, 2016 तक तीन वर्षों के लिये जारी रहेगी, के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत के चक्रण तथा विद्युत प्रदाय की टैरिफ संबंधी निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करता है।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2012 {आरजी–35(I) वर्ष 2012}

प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा दिनांक 9 दिसंबर, 2009 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम 2009 (जी–35, वर्ष 2009) अधिनियमित किये गये थे, बहुवर्षीय टैरिफ की द्वितीय नियंत्रण अवधि दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो जाएगी अतएव वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की आगामी नियंत्रण अवधि हेतु विद्युत वितरण विद्युत–दर (टैरिफ) की निबन्धन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट किये जाने के प्रयोजन से, ये विनियम अधिनियमित किये जा रहे हैं।

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : 1.1 ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2012 {आरजी–35(I) वर्ष 2012}''** कहलायेंगे।

1.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

1.3 ये विनियम विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2016 तक प्रभावशील रहेंगे। दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से प्रारंभ होने वाली अवधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत चक्रण एवं प्रदाय संबंधी याचिकाएं केवल इन विनियमों के अनुसार ही दायर की जा सकेंगी।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :

2.1 ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत चक्रण तथा प्रदाय हेतु प्रभारित की जाने वाली विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों में लागू होंगे।

3. प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ होना :

3.1 शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ है तथा यह वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपभोक्ताओं को प्रोन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार के प्रोन्नत मानदण्डों पर जब भी सहमति हो जाएगी विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

4. परिभाषाएं :

4.1 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में,

(ए) ''अधिनियम (Act)'' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(बी) ''लेखांकन विवरण–पत्रों (Accounting Statements)'' से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण–पत्र, अर्थात् :

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I में संबंधित अर्न्तविष्ट प्ररूप के अनुसार तैयार किया गया तुलन–पत्र (बैलेंस शीट); मय संबंधित टिप्पणियों तथा ऐसे अन्य सहायक अभिलेख तथा जानकारी के, जैसा कि वे आयोग द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जाएं ;

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के उपबन्धों के परिपालन में लाभ तथा हानि का विवरण–पत्र;

(iii) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊटेंट्स ऑफ इण्डिया के रोकड़–प्रवाह विवरण–पत्र (कैश–फ्लो स्टेटमेन्ट) (अकाऊटिंग स्टैण्डर्ड–3) के लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया रोकड़–प्रवाह विवरण–पत्र जैसा कि इसे (लेखांकन मानक) नियम, 2006 अर्थात् Companies (Accounting Standards), Rule 2006 में अधिसूचित किया गया है ;

(iv) अनुज्ञप्तिधारी के वैधानिक अंकेक्षक(ों) का प्रतिवेदन ;

(v) संचालकों का प्रतिवेदन तथा लेखांकन नीतियां;

(vi) केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लागत अभिलेख, यदि कोई हों; तथा

(vii) विनियामक अर्हताओं की आपूर्ति हेतु ऐसे अन्य विवरण–पत्र जैसे कि वे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं ;

(सी) ''सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement-ARR)" से अभिप्रेत है किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यापारों हेतु उक्त वर्ष(र्षों) हेतु सम्पूर्ण व्ययों का प्राक्कलन, जिस/जिन हेतु यह तैयार किया जाता है ;

(डी) ''आवेदक (Applicant)'' से अभिप्रेत है एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा इन विनियमों के अनुसार विद्युत चक्रण तथा प्रदाय की विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(ई) ''अंकेक्षक (Auditor)'' से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1, वर्ष 1956) की धारा 224, 233(बी) तथा 619 के उपबन्धों अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अन्तर्गत नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक ;

(एफ) ''अधिकृत भार (Authorised Load)'' को किलोवॉट (केडब्लू), केवीए अथवा अश्वशक्ति (हार्स पावर) यूनिटों में अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इसे मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 यथासंशोधित में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जाएगा ;

(जी) ''बैंक दर (Bank Rate)'' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक के किसी सुसंगत वर्ष की दिनांक एक अप्रैल को लागू की गई बैंक दर ;

(एच) ''आयोग (Commission)'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(आई) ''आयोग सचिव (Commission Secretary)'' से अभिप्रेत है आयोग के सचिव;

(जे) ''संविदाकृत ऊर्जा (Contracted Power)'' से अभिप्रेत है मेगावाट में अभिव्यक्त की गई ऊर्जा जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी प्रणाली में चक्रण किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है;

(के) ''क्रेता (Customer)'' से अभिप्रेत है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा एक कैप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र स्थापित किया गया है अथवा एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा खुली पहुंच का लाभ प्राप्त करने वाला एक उपभोक्ता जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहा हो;

(एल) ''वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (Date of Commercial Operation-COD)'' से अभिप्रेत है किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत तन्तुपथ (लाईन) अथवा उपकेन्द्र को उसके घोषित वोल्टेज स्तर पर प्रभारित किये जाने अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे

प्रभारित करने की तिथि अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारण हेतु तैयार घोषित तिथि से सात दिवस के भीतर की तिथि, परन्तु जो क्रेताओं संबंधी परिस्थितियों के कारणवश वास्तविक रूप से प्रभारित न की जा सकी हो ;

(एम) ''घोषित वोल्टेज (Declared Voltage)'' से अभिप्रेत है म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 यथासंशोधित के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई वोल्टेज की मात्रा ;

(एन) ''विद्युत वितरण कंपनी (Discom) से अभिप्रेत है डिस्ट्रब्यूशन कंपनी अथवा विद्युत वितरण कंपनी जिसके अंतर्गत ''पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी'' से अभिप्रेत मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ''पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी'' से अभिप्रेत मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा ''मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से है;

(ओ) ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee)" से अभिप्रेत ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से है जो उसके विद्युत प्रदाय में विद्युत प्रदाय हेतु एक वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारित करने हेतु प्राधिकृत है ;

(पी) ''वितरण हानि (Distribution Loss)'' से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत वितरण प्रणाली में घटित कुल ऊर्जा की हानियां जिन्हें आगमित ऊर्जा (energy input) तथा विक्रयों के अन्तर के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया हो ;

(क्यू) ''विद्यमान परियोजना (Existing Project)'' से अभिप्रेत है दिनांक 1.4.2013 से पूर्व किसी तिथि को वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित की गई कोई परियोजना ;

(आर) ''किया गया व्यय (Expenditure incurred)'' से अभिप्रेत है कोई निधि, भले वह पूंजी (Equity) अथवा ऋण (debt) हो अथवा दोनों हो जिसे उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिप्राप्ति हेतु वास्तविक रूप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिन हेतु कोई राशि मुक्त न की गई हो;

(एस) ''अति उच्च दाब उपभोक्ता [Extra High Tension (EHT) Consumer]'' से अभिप्रेत है एक उपभोक्ता जिसे सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 33000 वोल्ट से अधिक विद्युत प्रदाय की जा रही है जो तथापि, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 यथा संशोधित, के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत घटत–बढ़त (variation) के अध्यधीन होगी ;

(टी) ''उच्च दाब उपभोक्ता [High Tension (HT) Consumer]'' से अभिप्रेत है एक उपभोक्ता जिसे सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 650 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट से अनाधिक विद्युत प्रदाय की जा रही है जो तथापि, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 यथा संशोधित, के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत घटत–बढत़ (variation) के अध्यधीन होगी ;

(यू) ''अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो ;

(वी) ''निम्न दाब उपभोक्ता [Low Tension (LT) consumer]'' से अभिप्रेत है एक उपभोक्ता जिसे सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत 650 वोल्ट से अनाधिक विद्युत प्रदाय की जा रही है जो तथापि, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 यथा संशोधित, के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये प्रतिशत घटत–बढत़ (variation) के अध्यधीन होगी ;

(डब्लू) ''दीर्घ–अवधि क्रेता (Long-term Customer)'' से अभिप्रेत एक ऐसे व्यक्ति से है जो चक्रण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक–विद्युत वितरण कम्पनी प्रणाली के संबंध में तीन वर्षों की अवधि से अधिक का धारणाधिकार (lien) रखता हो ;

(एक्स) ''मध्यम–अवधि क्रेता (Medium-term Customer)'' से अभिप्रेत एक ऐसे व्यक्ति से है जो चक्रण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक–विद्युत वितरण कम्पनी प्रणाली के संबंध में तीन माह से अधिक तथा तीन वर्षों की अवधि तक का धारणाधिकार (lien) रखता हो ;

(वाई) ''अधिकारी (Officer)'' से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;

(जेड) ''प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation and Maintenance expenses or O&M expenses)'' से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तथा प्रदाय–तन्त्र (नेटवर्क) के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय, उसके किसी अंश को सम्मिलित करते हुए तथा इसमें शामिल होंगे जनशक्ति, मरम्मत कल–पुर्जों, उपभोग्य वस्तुओं, बीमा तथा ऊपरी–व्ययों (Overheads) पर किये गये कोई व्यय;

(एए) ''परियोजना (Project)'' से अभिप्रेत विद्युत वितरण प्रणाली में की गई किसी वृद्धि, परिवर्तन अथवा आवर्धन संबंधी योजना से है ;

(बीबी) ''निर्धारित वोल्टेज (Rated Voltage)'' से अभिप्रेत एक ऐसी वोल्टेज से है जिस पर विद्युत वितरण प्रणाली प्रचालन हेतु रूपांकित की गई है;

(सीसी) ''लघु–अवधि क्रेता (Short-term Customer)'' से अभिप्रेत एक ऐसे व्यक्ति से है जो चक्रण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्जीय/राज्यान्तरिक–विद्युत वितरण कम्पनी प्रणाली के संबंध में तीन माह तक की अवधि का धारणाधिकार (lien) रखता हों;

(डीडी) ''विद्युत–दर (Tariff)'' से अभिप्रेत है विद्युत वितरण तथा प्रदाय हेतु उपभोक्ताओं द्वारा प्रभारों की अनुसूची के साथ–साथ उनकी निबन्धन एवं शर्तों को सम्मिलित करते हुए;

(ईई) ''विद्युत–दर अवधि (Tariff Period)'' से अभिप्रेत उक्त अवधि से है जिस हेतु आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण किया गया है ;

(एफएफ) ''अनियन्त्रणीय लागतें (Uncontrollable costs)'' से अभिप्रेत उन लागतों से है जिनमें सम्मिलित होंगी (परन्तु जो इन्हीं तक ही सीमित न होंगी) ईंधन लागतें, मुद्रा–स्फीति के कारण लागतें, कर तथा उपकर, विद्युत क्रय यूनिट लागतों में विषमताओं के साथ–साथ प्रतिकूल प्राकृतिक विपदाओं अथवा अपरिहार्य आपदा परिस्थितियों के कारण जल–विद्युत व ताप–विद्युत मिश्र में किया गया केई परिवर्तन अथवा अन्य कोई मदें जैसा कि आयोग द्वारा इनके संबंध में विचार किया जाए ;

(जीजी) ''उपयोगी जीवन काल (Useful Life) '' किसी वितरण प्रणाली की इकाई के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से उपकेन्द्र हेतु 25 वर्ष तथा तन्तु–पथों (लाईनों) हेतु 35 वर्ष मानी जाएगी ; तथा

(एचएच) ''वर्ष (Year)'' से अभिप्रेत है दिनांक 1 अप्रैल को प्रारंभ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष,

(i) ''चालू वर्ष (Current year)'' से अभिप्रेत है वर्ष जिसमें वार्षिक लेखा का विवरण–पत्र अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु याचिका दायर की गई हो,

(ii) ''पिछला वर्ष (Previous year)'' से अभिप्रेत है चालू वर्ष से ठीक पूर्व का वर्ष,

(iii) ''आगामी वर्ष (Ensuing year)'' से अभिप्रेत है चालू वर्ष से ठीक अगला वर्ष।

4.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में दर्शाया गया है।

5. विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण (Determination of Tariff) :

5.1 आयोग उपभोक्ताओं को विद्युत–दर एवं प्रभारों का अवधारण, उनकी निबंधन तथा शर्तों को सम्मिलित करते हुए, अधिनियम की धारा 62 तथा विद्युत चक्रण तथा प्रदाय हेतु सहपठित धारा 86 के अंतर्गत करेगा।

6. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त (Principles of Tariff Determination) :

6.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धान्तों से मार्ग–दर्शन प्राप्त किया गया है।

6.2 विद्युत–दर (टैरिफ) में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत चक्रण तथा प्रदाय की अनुज्ञप्ति–प्राप्त गतिविधियों के प्रचालन में उपगत (incurred) युक्तियुक्त लागतों की वसूली का प्रावधान किया जाएगा जिसमें अनुपालन के विनिर्दिष्ट स्तर पर पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) को भी जोड़ा जाएगा। अनुज्ञप्तिधारियों को उनके लेखांकन विवरण–पत्र तैयार करने होंगे जिन्हें उसके द्वारा विनियम 10.1 में दर्शायेनुसार नियमित रूप से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

6.3 इन विनियमों में अपनाए गये बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक सिद्धांतों को अपनाया जाना, वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्य प्रणाली को दक्ष बनाना तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करना है। टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा लागत मानदण्ड, पूर्व अवधि में किये गये अनुपालन के आधार पर विनिर्दिष्ट किये गये हैं। स्वीकार्य विद्युत–दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत का एक अंश पुरस्कार के रूप में उपभोक्ताओं के साथ बांटे जाने हेतु अनुज्ञेय किया जाता है। इसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से दक्ष अनुपालन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

6.4 केवल उन्हीं निवेशों तथा पूंजीगत व्ययों को विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से सेवाकृत किये जाने की लागतों को इस संबंध में वसूली बाबत अनुज्ञेय किया जाएगा जो आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं। इससे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा युक्तियुक्त निवेश सुनिश्चित किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुकूलतम निवेश सुनिश्चित करने होंगे तथा वितरण प्रणाली क्षमता में वृद्धि तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपालन मानदण्डों की आपूर्ति हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में पर्याप्त प्रावधान करने होंगे।

6.5 टैरिफ नीति के अनुरूप, प्रति–सहायतानुदान (cross subsidy) को उत्तरोत्तर कम किया जाएगा।

7. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया (Procedure for making an application for determination of Tariff)

7.1 विद्युत चक्रण तथा प्रदाय हेतु विद्युत दर (टैरिफ) अवधारण प्रक्रिया को पूर्व में शीर्षक मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 यथासंशोधित अनुसार अधिसूचित किया जा चुका है। अनुज्ञप्तिधारी को बहुवर्षीय अवधि हेतु विद्युत–दर अवधारण हेतु आवेदन विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ जमा करना होगा।

7.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा बहुवर्षीय अवधि हेतु टैरिफ अवधारणा के लिये जानकारी इन विनियमों में संलग्न प्ररूपों (परिशिष्ट–1) के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन प्ररूपों में प्रस्तुत जानकारी आवेदन का एक भाग होगी। अनुज्ञप्तिधारी को विनिर्दिष्ट प्ररूपों में बहुवर्षीय अवधि के टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन की संक्षेपिका प्रकाशित करनी होगी जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्देशित किया जाए। अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी, ऐसे प्ररूपों में जैसे तथा जब यह आयोग

द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर (टैरिफ) को अंतिम किये जाने के प्रयोजन हेतु निर्देशित की जाएगी, प्रस्तुत करनी होगी।

7.3 आयोग को सदैव वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) का तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा ऐसे अवधारण की प्रक्रिया के अनुसार, जैसा कि इसे विनिर्दिष्ट किया जाए, उसके द्वारा पहल की जाएगी :

परन्तु ऐसी विद्युत–दर (टैरिफ) के साथ संबंधित निबंधन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को कार्य संचालन विनियमों, यथासंशोधित में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

7.4 आयोग अथवा आयोग सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोज्य से नामोद्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत आवेदक को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे जाएंगे, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। किसी अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर अथवा निर्धारित समयावधि के भीतर किसी अतिरिक्त जानकारी अथवा अभिलेखों के प्राप्त न होने पर, जैसा कि वे किसी आवेदन के प्रक्रियाबद्ध किये जाने हेतु आवश्यक समझे जाएं, आयोग द्वारा उन्हें अस्वीकार किया जा सकेगा।

7.5 केवल पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के साथ समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, के प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोज्य से नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा आवेदक को इस प्रकार संक्षिप्त रूप में एवं विधि अनुसार आवेदक को सूचित किया जाएगा कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि इस बारे में विनिर्दिष्ट किया जाए [कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, यथासंशोधित]

7.6 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने संबंधी जारी किये गये औपचारिक आदेश से तीन कार्यकारी दिवस के अंदर अपनी तत्संबंधी वैबसाईट पर प्रदर्शित करने होंगे।

7.7 आवेदक, आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकों तथा अभिलेखों (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों सहित) के साथ–साथ लेखांकन विवरण–पत्र, प्रचालन तथा लागत आंकड़े, जैसे कि वे आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु चाहे जाएंगे, प्रस्तुत करेगा। आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो आवेदक ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा

अभिलेखों की संक्षेपिका के (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियों सहित) उपलब्ध करा सकेगाः

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा सिवाय जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए।

8. विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण तथा उसके सत्यापन की क्रियाविधि (Methodology for Determination of Tariff and True up) :

8.1 आयोग समय–समय पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत–दर (टैरिफ) अवधियों का निर्धारण करेगा। विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त टैरिफ अवधि के दौरान प्रयोज्य होंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत, टैरिफ अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त इन विनियमों के लागू होने की तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगे।

8.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा टैरिफ अवधि के आरंभ में तथा तदोपरांत प्रतिवर्ष अपनी याचिकाएं दाखिल की जाएंगी। आयोग द्वारा टैरिफ तथा उसका सत्यापन, जिस हेतु यह अनुरोध किया जा रहा है, के सूक्ष्म परीक्षण की समीक्षा पूंजीगत व्यय तथा वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर की जाएगी। तथापि, इस प्रकार के सत्यापन के संबंध में किसी प्रकार की असामान्य तथा अनियंत्रणीय विषमता पर भी विचार किया जा सकेगा। प्रचालन तथा संधारण (O&M) के मानदण्डों का अवधारण करते समय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा छटवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार दिनांक 31.8.2008 तक कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण की पूर्व अवधि का बकाया भुगतान कार्यान्वित किये जाने संबंधी घटक को भी सम्मिलित किया गया है। इस राशि का भी सत्यापन किया जाएगा तथा इस प्रयोजन हेतु भुगतान की गई वास्तविक बकाया राशि के विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे। नियंत्रण अवधि के दौरान वेतन में किये गये किसी अनुवर्ती पुनरीक्षण तथा बकाया राशि के परिणामिक भुगतान को आयोग की जानकारी में उचित विचारार्थ लाया जाएगा।

8.3 यदि अद्यतन रूप से वसूल की गई विद्युत–दर (टैरिफ) की राशि सत्यापन उपरान्त अवधारित की गई विद्युत दर अधिक हो तो ऐसी दशा में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को इस प्रकार वसूल की गई आधिक्य राशि का प्रत्यर्पण उक्त रीति द्वारा करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा सत्यापन आदेश के अन्तर्गत आदेशित किया जाए। इसी प्रकार, यदि सत्यापन उपरांत इस प्रकार वसूल की गई विद्युत–दर अवधारित विद्युत दर से कम हो तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी से कम वसूल की गई राशि की वसूली उपभोक्ताओं से ऐसी विधि द्वारा, जैसा कि आयोग द्वारा इसके संबंध

में निर्णय लिया जाए, करेगा जो आयोग द्वारा सत्यापन याचिका को दाखिल किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट समयावधि के परिपालन के अध्यधीन होगा। कम वसूल की गई राशि के कारण बकाया वसूली योग्य राशि की विधि के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

8.4 विद्युत–दर (टैरिफ) तथा सत्यापन याचिका की प्रस्तुति, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 यथासंशोधित अनुसार तथा निर्धारित प्ररूपों में, प्रतिवर्ष दिनांक 31 अक्टूबर तक की जाएगी। तथापि इन विनियमों में निर्दिष्ट किये गये अनुसार बहुवर्षीय विद्युत–दर की नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु, सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर अवधारण के संबंध में आवेदन 17 दिसंबर, 2012 तक प्रस्तुत करने होंगे।

8.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता आयोग को याचिका के रूप में तीन सुव्यक्त भागों में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्, प्रथम, ऊर्जा लागत हेतु जिसमें विद्युत क्रय लागत, पारेषण तथा वितरण हानियां तथा अन्तर्राज्यीय व राज्यान्तरिक लागू पारेषण प्रभारों के साथ–साथ राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) प्रभार भी सम्मिलित होंगे, द्वितीय, चक्रण व्ययों के संबंध में तथा तृतीय, उपभोक्ताओं को ऊर्जा के प्रदाय के संबंध में क्रेता सेवाओं को शामिल करते हुए, होंगी।

8.6 तन्तु तंत्र (वायर नेटवर्क) के सृजन, संधारण, देख–रेख, नवीनीकरण तथा विकास संबंधी कार्य जिनमें उसे बदले जाने तथा विस्तार कार्य भी शामिल होंगे, से संबंधित व्ययों को चक्रण गतिविधि माना जाएगा। इसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत चक्रण हेतु प्रयोग किये जा रहे उपकेन्द्र, संवाहक (कंडक्टर) ट्रांसफार्मर, संयन्त्र तथा उपकरण भी शामिल होंगे।

8.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय गतिविधि से संबंधित लागतों में शामिल होगीं; (अ) उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की व्यवस्था हेतु स्थापना लागत तथा (बी) उपभोक्ता सेवाएं प्रदान किया जाना, जिनमें मीटरीकरण, बिलिंग, वसूली तथा संबद्ध गतिविधियों पर किये गये व्यय भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।

8.8 एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जो किसी अन्य व्यापार में भी लिप्त है तथा वितरण व्यापार की आस्तियों का उपयोग करता हो, वह उसके अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यापार तथा ऐसे अन्य व्यापार से संबंधित पृथक लेखे संधारित करेगा तथा इन्हें आयोग को प्रस्तुत करेगा।

8.9 आयोग, सम्पूर्ण विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि बाबत्, इन विनियमों में अर्न्तनिहित सिद्धान्तों पर आधारित वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत चक्रण तथा प्रदाय गतिविधियों बाबत् सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन कर सकेगा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत अवधि के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से प्रभारों की वसूली बाबत् प्राधिकृत कर

सकेगा। बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के आधार पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत–दर(टैरिफ)/सत्यापन याचिकाएं विनियम 8.4 में विनिर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार दायर करनी होंगी।

8.10 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि बाबत्, एक बार अनुमोदित की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में इन्हें लागतों तथा राजस्वों की अनियंत्रित विषमताओं (Uncontrollable Variations) के माध्यम से निकाले जाने हेतु केवल वार्षिक समायोजनों की आवश्यकता होगी। समस्त नियंत्रण–योग्य (Controllable Variations)विषमताओं के संबंध में संव्यवहार सामान्य तौर पर विद्युत–दर अवधि के अन्त में किया जाएगा; तथापि, यदि ऐसी विषमताओं की मात्रा प्रचुर हो तो इनकी समीक्षा टैरिफ अवधि के दौरान भी की जा सकेगी। तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिवर्ष अन्तिम रूप से दिनांक 31 अक्टूबर तक उपभोक्ताओं से प्रभारों की वसूली के संबंध में, उक्त अवधि के उपरांत, जिस हेतु उसे आयोग द्वारा पूर्व में वसूली हेतु प्राधिकृत किया जा चुका हो, नवीनीकरण चाहे जाने के संबंध में आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8.11 आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की चक्रण गतिविधि को, आवंटन योग्य व्ययों की वसूली के प्रयोजन से प्रत्येक अनुज्ञप्ति क्षेत्र को, एकल क्षेत्र मानेगा तथा तद्नुसार प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु पृथक–पृथक चक्रण प्रभारों को अवधारित किया जा सकेगा।

8.12 आयोग बाधित तथा अबाधित (interruptible and uninterruptible) विद्युत प्रदाय में विभेदीकरण किये जाने का प्रावधान करता है। आयोग, अनुज्ञप्तिधारी को अबाधित विद्युत प्रदाय हेतु एक विद्युत–प्रदाय विश्वसनीयता प्रभार (Reliability Charge) की वसूली बाबत प्राधिकृत कर सकेगा।

8.13 आयोग किसी विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से वसूली–योग्य ऊर्जा की प्रति यूनिट औसत लागत का अवधारण उक्त टैरिफ अवधि बाबत अनुज्ञेय की जाने योग्य वितरण हानियों पर यथोचित विचार करते हुए करेगा।

8.14 अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में विद्युत क्रय लागत, चक्रण व्यय तथा विद्युत प्रदाय व्यय से संबंधित घटक सम्मिलित होंगे तथा ये वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रहे समस्त उपभोक्ताओं से वसूली योग्य होंगे।

8.15 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण करते समय, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत लागत के विवरण प्रदान किये जाने के अतिरिक्त, चक्रण (वितरण तन्तुपथ) तथा विद्युत प्रदाय से संबंधित गतिविधियों के संबंध में, पृथक–पृथक लेखांकन विवरण/लागत आवंटन विवरण भी प्रस्तुत करेगा :

अ. ऊर्जा लागत, अर्थात् विद्युत क्रय लागत को आवंटित मदें :

(i) विद्युत क्रय की स्थाई लागत ;

(ii) विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत ;

(iii) अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियां ;

(iv) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार ;

(v) राज्यान्तरिक पारेषण हानियां ;

(vi) राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार;

(vii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) प्रभार

(viii) विधि अनुसार प्रयोज्य कोई कर या उदग्रहण (tax or levies), तथा

(ix) विद्युत क्रय को आरोप्य अन्य कोई प्रभार।

ब. चक्रण गतिविधियों को आवंटित मदों में सम्मिलित होंगे :

(i) वितरण तंत्र (नेटवर्क) की चक्रण गतिविधि से संबंधित प्रचालन तथा संधारण व्यय;

(ii) चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित परिसंपत्तियों के संबंध में अवमूल्यन;

(iii) जहां तक संभव हो अथवा आकल्पन पर आधारित चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार ;

(iv) चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;

(v) चक्रण गतिविधि को आवंटन योग्य पूंजी पर प्रतिलाभ;

(vi) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार; तथा

(vii) विदेश विनिमय दर परिवर्तन (FERV) से अवेक्षित कटौती अथवा समायोजन की लागत।

स. विद्युत प्रदाय गतिविधि से संबंधित आवंटन योग्य व्ययों में सम्मिलित होंगे :

(i) विद्युत प्रदाय गतिविधि से संबंधित प्रचालन तथा संधारण व्यय;

(ii) विद्युत प्रदाय गतिविधि से चिन्हांकित आस्तियों के संबंध में अवक्षयण/ अवमूल्यन;

(iii) जहां तक संभव हो अथवा आकल्पन पर आधारित, विद्युत प्रदाय गतिविधि से चिन्हांकित परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;

(iv) विद्युत प्रदाय गतिविधि से चिन्हांकित कार्यकारी पूंजीगत पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;

(v) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज;

(vi) विद्युत प्रदाय गतिविधि को आवंटन योग्य पूंजी पर प्रतिलाभ;

(vii) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण; तथा

(viii) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार।

8.16 इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, किसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञेय किये गये व्यय, जिनकी वसूली (recovery) की जाना हो, अनुवर्ती अवधि हेतु निर्धारित की जाने वाली किसी विद्युत–दर (टैरिफ) के समायोजन के अध्यधीन होंगे, यदि आयोग इस संबंध में सन्तुष्ट हो कि वास्तविक वसूल की गई राशि अथवा किये गये व्यय आधिक्य राशि अथवा राशि में कमी के संबंध में, अत्यावश्यक हैं तथा वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आरोप्य किसी भी कारण से नहीं है अथवा उसके नियंत्रण से बाहर किन्हीं परिस्थितियों के कारणों से हैं ।

9. ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) :

9.1 जैसा कि अधिनियम की धारा 62(4) में प्रावधानित किया गया है, आयोग द्वारा एक ईंधन लागत समायोजन प्रभार सूत्र विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा तथा विद्युत–दर (टैरिफ) को विनिर्दिष्ट किये गये सूत्र के निबंधनों के अन्तर्गत प्रभारित किये जाने हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा। आयोग विद्युत–दर आदेश या पृथक आदेश के अंतर्गत ईंधन लागत समायोजन प्रभार के उदग्रहण हेतु, एक सूत्र निर्दिष्ट कर सकेगा, जैसा कि इसे आवश्यकतानुसार उचित समझा जाए। किसी विद्युत उत्पादक कंपनी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में ईंधन लागत समायोजन प्रभार, जहां इसे अनुज्ञेय किया गया हो, के प्रभाव को उपभोक्ताओं के साथ–साथ खुली पहुंच उपभोक्ताओं (open access consumers) से ऐसी विद्युत प्रदाय की मात्रा के संबंध में, जैसा कि उनके द्वारा ये वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई हो, उनकी खुली पहुंच उपभोक्ता संबंधी स्थिति (status) भले जो भी हो, से वसूल किया जा सकेगा ।

9.2 आयोग द्वारा किसी धनात्मक विद्युत क्रय लागत (incremental power purchase cost) की वसूली त्रैमासिक आधार पर अनुज्ञेय की जा सकेगी। धनात्मक विद्युत क्रय लागत की गणना सुसंबद्ध वर्ष के टैरिफ आदेश के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार या पृथक आदेश के माध्यम से की जाएगी तथा इस सूत्र में आगे भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जैसा कि इसे आवश्यकतानुसार आवश्यक समझा जाए। यह धनात्मक विद्युत क्रय लागत ईंधन लागत समायोजन प्रभार के अलावा भारित योग्य होगी। धनात्मक विद्युत क्रय लागत मानदण्डीय हानियों पर आधारित होगी तथा इन्हें ऐसी परिस्थितियों में अनुज्ञेय किया जाएगा जहां

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय संबंधी कारक उसके नियंत्रण से परे हों तथा इनमें टैरिफ आदेश के अंतर्गत चिन्हांकित किये गये विद्युत प्रदाय स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय में कमी परिलक्षित हुई हो जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का क्रय विद्युत बाजार या किसी अन्य स्त्रोत से विद्युत आपूर्ति के लिये किया जाना अनिवार्य हो गया हो। इसके अंतर्गत टैरिफ आदेश के अनुज्ञेय किये गये विक्रय से अधिक मात्रा में विद्युत का क्रय टैरिफ आदेश में दर्शाई गई दर से उच्चतर दर पर उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु विद्युत क्रय भी शामिल होगा जिसके अनुसार अतिरिक्त विद्युत मात्रा का क्रय विद्युत बाजार या अन्य स्त्रोतों से किया जाना आवश्यक हो ।

10. वार्षिक लेखों, प्रतिवेदनों आदि को तैयार करना तथा उनका प्रस्तुतिकरण (Preparation and Submission of Annual Accounts, Reoprt) :

10.1 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी लेखों का वार्षिक विवरण–पत्र तथा ऐसी अन्य जानकारी, जैसा कि इसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा। वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों एवं अनुज्ञप्ति शर्तों की सूचना संबंधी अर्हताओं का भी परिपालन करना होगा।

11. विद्युत–दर अवधारण में अंतराल (Periodicity of Tariff determination) :

11.1 किसी एक वित्तीय वर्ष में, विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर का कोई भी अंश, सामान्यतः एक वर्ष में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जाएगा। आयोग, स्वयं द्वारा तुष्टि उपरान्त तथा इस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ही, विद्युत–दर एक वर्ष से कम के अन्तराल में इसे संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

12 जन सुझाव, आपत्तियां तथा सुनवाईयां (Public Suggestions, Objections and Hearings):

12.1 अधिनियम की धारा 64(3) के उपबंधों के अनुसार, आयोग द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण से पूर्व सार्वजनिक सुझाव तथा आपत्तियां आमत्रित की जाएंगी। तत्पश्चात्, आयोग यदि उचित समझे तो हितधारकों से प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों पर सुनवाईयों का आयेाजन कर सकेगा तथा उनसे प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों पर यथोचित विचार करते हुए सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर का निर्धारण कर सकेगा। आयोग आवेदकों की सुनवाई का आयोजन, जब और जैसे आवश्यक समझा जाए, कर सकेगा।

13. याचिका की अभिस्वीकृति तथा आयोग के आदेश (Admission of the Petition and Orders of the Commmission) :

13.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के साथ–साथ सत्यापन याचिका से संबंधित प्रस्तुत की गई याचिका को एक प्रावधिक प्राप्ति क्रमांक (Provisional receipt number) आवंटित किया जाएगा। याचिका में प्रस्तुत की गई अपूर्ण जानकारी अथवा वांछित अतिरिक्त जानकारी के संबंध में आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित किया जाएगा। आयोग द्वारा चाही गई जानकारी को, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई समय–सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत करना होगा जिसका परिपालन न किये जाने की दशा में याचिका को निरस्त किया जा सकेगा तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जाएगा। याचिका को स्वीकार योग्य उसी दशा में माना जाएगा जब इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी के साथ–साथ अतिरिक्त वांछित जानकारी सहित प्रस्तुत किया गया हो। इस प्रकार स्वीकार की गई याचिका को आयोग द्वारा अन्तिम याचिका क्रमांक आवंटित किया जाएगा तथा अधिनियम की धारा 64(3) के अंतर्गत निर्धारित की गई समय सीमा के अंतर्गत याचिका को प्रक्रियाबद्ध किये जाने हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश जारी किये जाने बाबत् संपूर्ण माना जाएगा।

13.2 किसी याचिका की अभिस्वीकृति होने पर, आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी से किसी अधिक जानकारी, विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों के मूल्यांकन हेतु समर्थ हो सके।

13.3 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा भी, आयोग मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता विद्युत–दर (टैरिफ) की अवधारण प्रक्रिया जारी रखे जाने या आवेदन निरस्त करने के बारे में समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

14. अनुमोदित विद्युत दर से भिन्न दर पर प्रभारित किये जाने पर कार्यवाही (Charging of Tariff other than approved) :

14.1 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे उपभोक्ताओं से आयोग द्वारा अनुमोदित से अधिक विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय तथा अन्य किसी दायित्व के, बिना किसी पक्षपात दण्डित किये जाने की पात्रता होगी। ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को उपभोक्ताओं को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ, जिसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक की

तत्संबंधी वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में बैंक दर के बराबर होगी, प्रत्यर्पण (रिफंड) किया जाएगा।

15. विद्युत–दर आदेश अवधि के दौरान तथा उसके अन्त में समीक्षा (Review during and at the end period of Tariff Period) :

15.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई नियतकालिक विवरणिकाएं (returns) प्रस्तुत की जाएंगी जिनमें प्रचालन तथा लागत आंकड़े सम्मिलित किये जाएंगे जिससे आयोग को आदेश के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण किया जाना सुलभ हो।

15.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके अनुपालन तथा लेखों के वार्षिक विवरण–पत्रों के साथ–साथ अंकेक्षित लेखों के नवीनतम प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत किये जाएंगे।

15.3 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, विद्युत विक्रयों को हानियों के अनुज्ञेय स्तर द्वारा समेकित किया जाएगा जैसा कि इसे बहुवर्षीय टैरिफ प्रक्षेप–वक्र (ट्रेजेक्टरी) में ऊर्जा क्रय लागत को प्राक्कलित किये जाने हेतु दर्शाया गया हो जो कि विनियमों के अनुसार न्यायसंगत विद्युत क्रय मिश्र के अन्तर के अध्यधीन होगा (उदाहरणतया, अल्प वर्षा की स्थिति में ताप ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से अधिक विद्युत की मात्रा क्रय की जाएगी) ।

15.4 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के दौरान कतिपय अन्य अनुमोदित लागतों की किन्ही विषमताओं पर, आयोग द्वारा केवल उसी दशा में विचार किया जाएगा यदि अनुज्ञप्तिधारी आयोग की तुष्टि हेतु यह सिद्ध कर सके कि ये विषमताएं उसके युक्तियुक्त नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के घटकों के कारण हैं। नियंत्रण–योग्य कारणों के अन्तर्गत विषमताओं पर भी उसी दशा में विचार किया जाएगा यदि इनका अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार पर ठोस प्रभाव पड़ता हो।

15.5 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि की समाप्ति से कम से कम बारह माह पूर्व, आयोग इन विनियमों में निहित मानदण्डों एवं दीर्घ–अवधि विद्युत–दर (टैरिफ) सिद्धान्तों की विस्तृत समीक्षा प्रारंभ करेगा।

15.6 ऐसी समीक्षा दीर्घ–अवधि सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के विश्लेषण के उद्देश्य से तथा मानदण्डों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं एवं कार्य–विधि में संशोधन अथवा उन्नयन की दृष्टि से की जाएगी।

अध्याय – दो
विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धांत
(Principles for Determination of Tariff)

16. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी याचिका (Petition for Determination of Tariff) :

16.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय–1 में उपबंधों के परिपालन में ऐसे प्ररूपों (Forms) में संलग्न कर, जैसा कि इन्हें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट किया गया हो, के अनुसार तथा आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण बावत एक याचिका दायर करेगा। ये सिद्धांत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से कार्यान्वित किये जाएंगे तथा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक की अवधि तक लागू रहेंगे।

17. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण का आधार (Basis for Determination of Tariff):

17.1 जैसा कि उल्लेख किया गया है, बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्त दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से तीन वर्षों की अवधि हेतु लागू होंगे तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को तदनुसार टैरिफ निर्धारण अवधि हेतु निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगें।

17.2 आयोग द्वारा विद्युत चक्रण तथा प्रदाय व्यय प्रति वर्ष अवधारित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा वितरण तंत्र (नेटवर्क) हेतु वांछित अप्रत्याशित अतिरिक्त तथा असाधारण निवेश के कारण चक्रण तथा व्ययों में परिवर्तन को सत्यापन याचिकाओं की प्राप्ति होने पर अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

18. नियन्त्रणीय तथा अनियन्त्रणीय कारक (Controllable and Uncontrollable factors) :

18.1 अनियन्त्रणीय कारकों में निम्न कारक शामिल किये जाएंगे, जो अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण हैं तथा जिनका निराकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना संभव नहीं है :

(ए) अपरिहार्य आपदा घटनाएं जैसे कि युद्ध, अग्नि काण्ड, प्राकृतिक आपदाएं आदि;

(बी) कानून में परिवर्तन;

(सी) कर तथा शुल्क ;

(डी) विक्रयों में विषमता तथा;

(ई) विनियमों की सुसंबद्ध धाराओं में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत विद्युत उत्पादन और/या विद्युत क्रय की लागत में विषमता।

18.2 आवेदक के अनुपालन के अंतर्गत कुछ निदर्शी विषमताएं या प्रत्याशित विषमताएं जिन्हें आयोग द्वारा नियन्त्रणीय कारकों से संबद्ध किया जा सकता है, में निम्न कारकों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो निम्न तक ही सीमित नहीं होंगी :

(ए) पूंजीगत व्यय परियोजना (Capex Project) के क्रियान्वयन में समय और/या लागत आधिक्य (cost overrun)/दक्षताओं से उदभूत किसी पूंजीगत व्यय में विषमताएं जो ऐसी परियोजना के फलस्वरूप वैधानिक उद्ग्रहणों (statutory levies) अथवा अपरिहार्य आपदा घटनाओं (force majeure events) में किसी अनुमोदित परिवर्तन के कारण नहीं है;

(बी) समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों {Aggregate Technical and Commercial-(ATEC) Losses} में विषमताएं जिनका मापन विद्युत वितरण प्रणाली द्वारा आहरित की गई यूनिट संख्या (Units input) तथा वसूल की गई यूनिट संख्या (बिल किये गये तथा संग्रहीत की गई यूनिट संख्या) के अंतर के रूप में किया जाता है, जिसके अंतर्गत वसूल किये गये यूनिट का मूल्य बिल की गई यूनिट संख्या तथा संग्रहण दक्षता (Collection Efficiency) का गुणनफल होगा (जहां संग्रहण दक्षता का मापन उक्त वर्ष के दौरान वसूल किये गये राजस्व तथा कुल बिल किये गये राजस्व का अनुपात है);

(सी) वितरण हानियां, जिनका मापन उसके अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र में, उक्त वर्ष हेतु विक्रय हेतु उसके समस्त उपभोक्ताओं को विक्रय के संबंध में कुल ऊर्जा के आहरण तथा बिल की गई कुल ऊर्जा के योग के अंतर के रूप में किया जाएगा;

(डी) पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity- RoE), अवमूल्यन तथा कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं में विषमताएं;

(ई) अनुपालन मानदण्ड विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुपालन में विफलता, केवल उन्हें छोड़कर जहां छूट प्रदान की गई हो;

(एफ) प्रचालन तथा संधारण व्ययों में अंतर, केवल उन्हें छोड़कर, जो आयोग के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत आते हों तथा

(जे) तन्तुपथों (wires) की उपलब्धता तथा विद्युत प्रदाय की उपलब्धता में अंतर

19. अनियन्त्रणीय कारकों के कारण लाभों तथा हानियों का अंतरण किये जाने सबंधी क्रियाविधि (Mechanisim for Pass through of gains or losses on account of Uncontrollable factors)

19.1 अनियन्त्रणीय कारकों के कारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित लाभ अथवा हानि का अंतरण, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ में समायोजन के रूप में किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत पारित आदेश में अवधारित किया जाए।

20. पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत ढांचा (Capital Cost and Capital Structure) :

20.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न सम्मिलित होंगे :

ए. कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार उपगत (incurred) किया गया व्यय अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जिसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबंधन प्रभार सम्मिलित होंगे परंतु प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जे (Spares) शामिल न होंगे तथा परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक विदेश विनिमय दर परिवर्तन (Foreign Exchange Rate Variation-FERV) के कारण कोई लाभ तथा हानि, जैसा कि ये आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के उपरान्त स्वीकार किये गये हों, विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण का आधार बनेंगे।

बी. प्रारंभिक कल–पुर्जों की पूंजीगत राशि, जो निम्न उच्चस्थ मानदण्डों के अध्यधीन होगी :

(i) तन्तुपथ (लाईनें) –मूल परियोजना लागत का 0.75%

(ii) उपकेन्द्र –मूल परियोजना लागत का 2.50%

(iii) अन्य यन्त्र जैसे कि कैपेसिटर, आदि–मूल परियोजना लागत का 3.50%

20.2 आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के उपरान्त अनुज्ञेय की गई पूंजीगत लागत ही विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण का आधार बनेगी। युक्तियुक्त जांच–पड़ताल में सम्मिलित पहलू होंगे–पूंजीगत व्यय, वित्तीय प्रबंधन योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लागत–आधिक्य (Cost Over-run) तथा समय–आधिक्य (Time Over-run) का पाया जाना तथा ऐसे अन्य विषय जिन्हें आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु उपयुक्त पाया जाए :

बशर्ते यह कि विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2013 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत, पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगी।

20.3 पूंजी (इक्विटी) एवं ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा, बशर्ते यह विद्युत–दर (टैरिफ) को विपरीतात्मक प्रभावित न करे। इस प्रकार प्राप्त की पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त कतिपय लाभ को उपभोक्ताओं को अन्तरित कर दिया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इस बाबत् विनिर्दिष्ट किया जाए।

21. ऋण–पूंजी अनुपात (Debt-Equity Ratio) :

21.1 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के प्रयोजन से पूर्ण रूप से निर्मित की गई परिसम्पत्तियों हेतु कुल लगाई गई पूंजी पर ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात विनियम 21.2 के अध्यधीन 70:30 होगा। इस विनियम के अनुसार मूल्यांकित की गई ऋण–पूंजी राशि को ऋण पर ब्याज, पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ, अवमूल्यन तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन की गणना हेतु प्रयोग किया जाएगा।

21.2 किसी परियोजना हेतु जिसे दिनांक 1.4.2013 को अथवा इसके उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया गया हो, यदि वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण (Normative Loan) माना जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत कम हो तो ऐसे प्रकरण में विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी को ही मान्य किया जाएगा ।

परन्तु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश तिथि को भारतीय रूपयों में नामोद्दिष्ट (Designated) किया जाएगा।

व्याख्या : वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के वित्तीय पोषण हेतु उसकी मुक्त संचिति (Free reserve) में से सृजित आन्तरिक स्त्रोतों की अंशपूजी तथा पूंजी निवेश जारी करते समय अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि, यदि कोई हो, को पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु चुकाई गई पूंजी के रूप में गणना की जाएगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि तथा आन्तरिक स्त्रोतों को वितरण प्रणाली के पूंजीगत व्यय की आपूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया जाएगा।

21.3 ऐसे प्रकरण में, जहां वितरण प्रणाली को दिनांक 1.4.2013 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 को समाप्त होने

वाली अवधि के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अनुज्ञेय किये गये ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात को ही मान्य किया जाएगा।

22. कार्यकारी पूंजी (Working Capital) :

22.1 अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i) औसत बिलिंग के दो माह के बराबर प्राप्य सामग्रियों में से एक माह की विद्युत क्रय लागत तथा कोई उपभोक्ता प्रतिभूति राशि का योग घटा करके,

(ii) एक माह के प्रचालन एवं संधारण व्यय, तथा

(iii) पिछले वर्ष की वार्षिक आवश्यकता पर आधारित दो माह की अवधि हेतु सामग्री की सूची (इन्वेंटरी) {विद्युत प्रदाय गतिविधि में मापयंत्र (मीटर), मापयंत्र उपकरण तथा जांच उपकरण विशेष रूप से सुसंगत होंगे}

22.2 अनुज्ञप्तिधारी की चक्रण गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i) एक माह के प्रचालन एवं संधारण व्यय, तथा

(ii) दो माह की अवधि हेतु सामग्री की सूची (इन्वेंटरी) (मापयंत्रों, आदि को छोड़कर जिन्हें कि विद्युत प्रदाय गतिविधि का अंग माना गया है) जो वार्षिक आवश्यकता पर आधारित होगी तथा जिसे पिछले वर्ष की सकल स्थायी परिसम्पत्तियों के 1 प्रतिशत की दर से माना जाएगा।

22.3 उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्ड विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रयोज्य होंगे।

23. पूंजी निवेश योजना (Capital Investment Plan) :

23.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता याचिका के साथ विभिन्न पूंजीगत व्यय योजनाओं (capex scheme) के विरूद्ध एक विस्तृत पूंजी निवेश, योजना प्रस्तुत करेगा। वित्त–प्रबंधन योजना तथा भौतिक लक्ष्यों को दर्शाते हुए भार में अभिवृद्धि, वितरण हानियों में कमी, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण आदि की आपूर्ति हेतु भी होगा।

23.2 पूंजीगत योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण के साथ जिनका कार्य विचाराधीन आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ तो की जाएंगी परन्तु जो टैरिफ अवधि के अंतर्गत अथवा उसके उपरांत ही पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी।

23.3 अनुमोदित पूंजी निवेश हेतु ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का अनुपात विनियम 21 के अनुरूप होगा।

24. विक्रयों का आकलन (Estimation of Sales) :

24.1 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विक्रयों का आकलन पिछले तीन वर्षों के श्रेणीवार तथा खण्डवार (Slab-wise) विद्युत के विक्रय, उपभोक्ता संख्या, संयोजित/संविदाकृत भार, आदि के वास्तविक/अंकेक्षित आंकड़ों पर आधारित होगा जिसके साथ अन्य सुसंबद्ध कारकों अथवा किये गये अध्ययनों पर भी विचार किया जाएगा जिनका परिणाम विक्रयों के आकलन में विषमताओं से लेकर वास्तविक/अंकेक्षित आंकड़ों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। विषमताओं से संबंधित कारणों के वास्तविक रूझानों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथोचित औचित्यों के साथ आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। विद्युत–दर अवधि हेतु उपरोक्त उल्लेखित मानदण्डों के वर्षवार आकलन भी टैरिफ याचिका के साथ प्रस्तुत किये जाएंगे।

24.2 पूर्व वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, विद्युत खपत, विद्युत की मांग तथा पूर्व के वर्षों में हानियों में कमी के रूझान के औचित्य तथा आगामी वर्षों में प्रत्याशित वृद्धि तथा अन्य कोई घटक, जैसा कि वे आयोग द्वारा युक्तिसंगत समझे जाएं, का परीक्षण आयोग द्वारा किया जा सकेगा तथा अनुवर्ती रूप से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अधिप्राप्त की जाने वाली विद्युत की मात्रा मय ऐसे संशोधनों के जो उचित समझे जाएं, का अनुमोदन किया जाएगा।

24.3 ऐसे किसी आकलन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्न दर्शाये अनुसार जानकारी देनी होगीः

अ. उसकी प्रणाली का उपयोग कर रहे श्रेणीवार खुली पहुंच के उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या। उपभोक्ताओं के संबंध में मांग तथा चक्रित ऊर्जा निम्नानुसार पृथक–पृथक दर्शाई जाएगी :

i. विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के अन्दर, तथा
ii. विद्युत आपूर्ति क्षेत्र से बाहर

ब. विद्युत व्यापारियों अथवा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु विद्युत का विक्रय, यदि कोई हो, तो इसका पृथक से उल्लेख किया जाएगा।

24.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अमीटकरीकृत उपभोक्ता श्रेणियों हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण के माध्यम से प्रतिनिधि नमूने/अंकेक्षण आदि द्वारा विद्युत खपत को प्रमाणित करना होगा। ऐसे ऊर्जा अंकेक्षण/प्रतिनिधि नमूनों/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, आदि के अभाव में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा विद्युत खपत का आकलन ऐसे मानदण्डों पर आधारित होगा जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें उचित समझा जाए।

24.5 आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को एक स्वतंत्र अध्ययन के संबंध में निम्न के संबंध में निर्देशित कर सकेगा :

i. मापयंत्रों (metres) की प्रामाणिकता की वस्तुस्थिति के बारे में, मीटरीकृत उपभोक्ताओं के भार के बारे में तथा उपभोक्ताओं के श्रेणी के वर्गीकरण के बारे में ;

ii. अमीटरीकृत उपभोक्ता क्षेत्रों के अंतर्गत विद्युत की खपत का आकलन, यादृच्छिक (random) नमूना आधार पर,

iii. चयनित नमूना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक विवरण ट्रांसफार्मर पर स्थापित किये गये मीटरों पर आधारित कृषि संभरकों में विद्युत खपत का आकलन,

iv. पृथक्कृत कृषि संभरकों के माध्यम से उपकेन्द्र पर, संभरक के आहरण बिन्दु पर मीटरों की स्थापना द्वारा तथा भार प्रवाह अध्ययनों (load flow studies) के आधार पर तकनीकी हानियों का अवधारण करना तथा तद्नुसार कृषि संबंधी विद्यत खपत का आकलन करना।

24.6 आयोग द्वारा मीटरीकृत तथा अमीटरीकृत खपत को स्थापित करने/प्रमाणित किये जाने के प्रयोजन से किये जाने वाले अध्ययनों के बारे में उसकी विधि तथा क्रियाविधि के बारे में निर्देश प्रदान किये जा सकेंगे। आयोग द्वारा तद्नुसार अमीटरीकृत खपत हेतु मानदण्डों की समीक्षा की जा सकेगी तथा उसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अग्रिम कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश प्रदान किये जाएंगे, जैसा कि उपयुक्त समझा जाए।

25. वितरण हानियां (Distribution Losses) :

25.1 आयोग द्वारा पिछली नियंत्रण अवधि हेतु समस्त सुसंगत कारकों पर यथोचित विचार करते हुए समस्त हितधारकों से परामर्श द्वारा, समस्त अनुज्ञप्तिधारियों तथा म.प्र. शासन को सम्मिलित करते हुए, वितरण हानियों के प्रक्षेप–वक्र (trajetory) पर विचार किया गया था। आयोग के संज्ञान में है कि पूंजीगत निवेश की विशाल राशि के माध्यम से कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है तथा इनके इस विनियमों की नियंत्रण अवधि के अंतर्गत भविष्य में पूर्ण किये जाने की आशा की जाती है। आयोग का यह दृष्टिकोण है कि इस पूंजीगत व्यय से वितरण हानियों में उल्लेखनीय कमी की जा सकेगी। इन विनियमों की नियंत्रण अवधि के अंतर्गत मानदण्डीय वितरण हानि स्तर प्रक्षेप वक्र निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

सरल क्रमांक	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	23%	20%	18%
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	20%	18%	16%
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	23%	21%	19%
4	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर	3.7%	3.5%	3.3%

25.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हानियां कम किये जाने में तीव्र गति लाई जाती है तथा इस प्रकार वह विद्युत क्रय पर होने वाले व्यय में बचत करता है तो इस प्रकार प्राप्त किये गये लाभ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनकी परिचालन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किये जाने हेतु अपने स्वयं के पास धारित रखा जाना अनुज्ञेय किया जाएगा।

26. विद्युत क्रय की आवश्यकता का आकलन एवं उपलब्धता (Estimate of Power Purchase Requirement and Availability) :

26.1 प्रत्येक वर्ष के प्राक्कलित विक्रय को मानदण्डीय वितरण हानियों के अनुसार समेकित किया जाएगा जिसके अनुसार उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय आवश्यकता का आंकड़ा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु प्राप्त किया जाएगा। विनिर्दिष्ट वितरण हानियों के अतिरिक्त, उक्त वर्ष हेतु दोनों अन्तर्राज्यीय तथा राज्यान्तरिक वितरण प्रणालियों हेतु वितरण हानियों को भी अनुज्ञेय किया जाएगा।

26.2 विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत क्रय आवश्यकता का प्रक्षेपण, ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency-EE) तथा मांग परक प्रबंधन (Demand side Management-DSM) योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों के प्रभाव पर विचार करते हुए करेंगे।

26.3 विद्युत वितरण कम्पनीवार विद्युत की उपलब्धता म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आवंटन के अनुसार होगी। समग्र उपलब्धता का अवधारण करते समय, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों तथा किसी अन्य स्त्रोत से उपलब्धता पर भी विचार किया जाएगा।

26.4 इसके अतिरिक्त, आयोग ने अधिनियम की धारा 86(1)(ई) की अर्हता के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपारम्परिक/अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा भी निर्दिष्ट की है। विद्युत की समग्र आवश्यकता में ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की उपलब्धता को भी सम्मिलित किया जाएगा।

27. विद्युत क्रय की लागत का आकलन (Estimation of Power Purchase Cost) :

27.1 विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत क्रय की लागत समुचित आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित/अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) के आधार पर की जाएगी तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशनों (nuclear power stations) के प्रकरण में, भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

27.2 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अन्य राज्य(ों) के सहयोग से निष्पादित की गई परियोजनाओं के संबंध में, आयोग टैरिफ का अवधारण अन्य संबंधित विद्युत नियामक आयोगों के परामर्श से करेगा यदि यह दायित्व केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग को सौंपा न गया हो।

27.3 अन्य विद्युत उत्पादक कंपनियों, व्यापारियों तथा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से प्राप्त की गई विद्युत क्रय की लागत, आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत क्रय अनुबंधों तथा व्यापारिक व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी जो कि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि

वितरण अनुज्ञप्तिधारी समुचित विनियमों के अनुसार आयोग से ऐसी व्यवस्थाओं के संबंध में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

27.4 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उत्पादन संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत तथा उपभोक्ताओं को किये गये इसके विक्रय का निर्धारण आयोग द्वारा अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) पर आधारित होगा।

27.5 कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिप्राप्त की गई (Procured) विद्युत की लागत आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी।

27.6 विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा के अपारंपरिक/नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों (Non Conventional / Renewable Sources of Energy) से क्रय की जाने वाली विद्युत की लागत आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाएगी। विद्युत की अधिप्राप्ति (Procurement) की लागत का आकलन करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह लागत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में शामिल की जाएगी।

27.7 किसी वर्ष में क्रय की गई ऊर्जा से संबंधित कोई वित्तीय हानि, जो अतिरिक्त हानियों की आपूर्ति हेतु वहन की गई हो तथा अनुमोदित स्तर से अधिक हो, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

28. पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को भुगतान योग्य प्रभार (Charges Payable to Transmission Licensees) :

28.1 राज्य के बाहर से क्रय की गई विद्युत हेतु केन्द्रीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों की पारेषण प्रणाली का उपयोग किये जाने पर, पारेषण प्रभारों को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार मान्य किया जाएगा।

28.2 राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु पारेषण प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) प्रभार आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होंगे।

29. वितरण विद्युत–दर (टैरिफ) :

29.1 विद्युत के वितरण हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत क्रय लागत, चक्रण लागत तथा विद्युत प्रदाय लागत सम्मिलित होगी जिसके घटक विनियम 8.15 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

30. पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) :

30.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना, चुकाई गई पूंजी पर रूपयों के रूप में, विनियम 21 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

30.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना 16% की दर पर पूर्व–कर (Pre-tax) आधार पर की जाएगी। आयकर के भुगतान पर किये गये व्ययों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यापार पर वास्तविक आधार पर अतिरिक्त रूप से अनुज्ञेय किया जाएगा।

30.3 पूंजीगत अंशदान जारी करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्थापित (raised) अधिमूल्य (प्रीमियम) एवं सुरक्षित कोष से सृजित आंतरिक संसाधनों का निवेश, यदि कोई हो, की गणना चुकाई गई पूंजी पर बतौर पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ के अनुरूप इस प्रतिबंध पर की जाएगी कि ऐसी अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि एवं आंतरिक संसाधन वास्तविक तौर पर पूंजीगत व्यय की आपूर्ति हेतु उपयोग किये जाएं तथा अनुमोदित वित्तीय प्रस्तावों (पैकेज) का भाग बनें। प्रतिलाभ की संगणना के प्रयोजन हेतु, पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सुरक्षित कोष के भाग को उस तिथि से, जब से वह विद्युत वितरण व्यापार में उत्पादकता हेतु प्रयुक्त किया गया हो, माना जाएगा।

31. ब्याज एवं ऋण पूंजी पर वित्तीय प्रभार (Interest and Finance Charges on Loan Capital) :

31.1 ऋण पर ब्याज की गणना के प्रयोजन हेतु विनियम 21 में दर्शाई गई विधि अनुसार प्राप्त किये गये ऋण, सकल मानदण्डीय ऋण माने जाएंगे।

31.2 दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक अनुज्ञेय किये गये सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति (Cumulative) अदायगी को घटाकर की जायेगी।

31.3 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि 2013–14 से 2015–16 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा।

31.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही कोई भी विलम्बकाल अवधि (Moratorium period) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

31.5 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना, परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण की श्रेणी (Portfolio) के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण न हो तथा यदि मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी :

परन्तु आगे यह भी कि यदि वितरण प्रणाली में वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी।

31.6 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

31.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त (Refinance) व्यवस्था हेतु समस्त संभव प्रयास करेगा जब तक यह ब्याज पर सकल बचतों में परिणत हों तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को उपभोक्ताओं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 1 : 1 के अनुपात में बांटा जाएगा।

31.8 ऋणों की निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा।

31.9 अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा किये गये प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज प्रभारों को आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की गई दर पर मान्य किया जाएगा।

32. अवमूल्यन या अवक्षयण (Depreciation) :

32.1 विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन या अवक्षयण (Depreciation) की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

ए. अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार (value base) परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत होगा जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञेय किया जाए।

बी. अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन (Funding) शामिल होगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा।

सी. परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य (Salvage Value) 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगा।

डी. पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यन–योग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में से पृथक कर दिया जाएगा।

ई. अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष ''सरल रेखा विधि (Straight Line Method)'' के आधार पर तथा वितरण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु जो दिनांक 31.03.2013

के उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की जाती हैं **परिशिष्ट–2** (Appendix-II) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी :

परन्तु वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता के अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को आयोग द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

एफ. विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 मे विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70% तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत इस प्रकार विस्तारित किया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की बढ़ोत्तरी 90% से अधिक न हो।

जी. अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से आदेय (chargeable) होगा। यदि परिसम्पत्ति का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के एक अंश हेतु हो तो अवमूल्यन को *आनुपातिक दर (Pro-rata)* पर प्रभारित किया जाएगा।

33 पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार (Lease/Hire Purchase Charges) :

33.1 पटटे् (लीज) पर ली गई परिसम्पत्तियों हेतु पट्टा प्रभारों पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पटट्ा संबंधी अनुबंध अनुसार विचार किया जा सकेगा यदि आयोग द्वारा प्रभारों को युक्तियुक्त समझा जाए।

34. प्रचालन एवं संधारण व्यय (Operation & Maintenance Expenses) :

34.1 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि हेतु, प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों पर आधारित होगा। प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे : कर्मचारी लागत, मरम्मत एवं अनुरक्षण (R&M) लागत और प्रशासनिक एवं सामान्य (A&G) लागत। प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के पूर्व के अंकेक्षित आकड़ों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। इन मानदण्डों में कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले

मंहगाई भत्ते, पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं, प्रोत्साहन, शासन को देय कर, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल व्यय तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क शामिल नहीं हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मंहगाई भत्ते, पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्कों का दावा पृथक से वास्तविक भुगतान की गई राशि के आधार पर किया जाएगा। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाएं के दावे का संव्यवहार मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 अनुसार किया जाएगा।

34.2 लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण बकाया राशि के भुगतान, अथवा वेतन आयोग, आदि के कारण वेतन की किसी अन्य मद में वृद्धि के कारण एकल–बार व्ययों को प्रक्षेप वक्र (trajectory) के मानदण्डों से असम्मिलित किया जा सकेगा तथा इन्हें वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुज्ञेय किया जाएगा। युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण प्रचालन तथा संधारण व्ययों में अभिवृद्धि के संबंध में आयोग का यह अभिमत है कि जहां उपरोक्त वृद्धि न्यायोचित है, वहां पर आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा।

34.3 कर्मचारी व्यय जिनमें मंहगाई भत्ता, पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं तथा प्रोत्साहन शामिल नहीं है, में वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की गई है, जैसा कि इनके बारे में प्रावधान छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं में किया गया है।

34.4 आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वेतन के पुनरीक्षण के कारण दिनांक 31.8.2008 तक प्रत्याशित व्यय के बारे में विचार किया गया है।

34.5 मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों (R&M Expenses) को विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से दिनांक 1 जून, 2005 को कार्य प्रारंभ करने की स्थिति में परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets) का तीन प्रतिशत इन्हें पुरानी परिसम्पत्तियां मानते हुए विचार गया है। नवीन परिसम्पत्तियों के भाग को जिसे बाद में माह मार्च, 2012 तक सृजन किया गया है, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों को 1.5 प्रतिशत की दर के अनुसार माना गया है। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ), पीथमपुर, एक माने गये अनुज्ञप्तिधारी के रूप में, जिसके द्वारा अपना प्रचालन कुछ वर्षों पूर्व प्रारंभ किया गया है, से संबंधित मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, पूर्व के रूझानों के आधार पर नियत्रण अवधि हेतु 5 प्रतिशत की दर से माने गये हैं। नियंत्रण अवधि के दौरान इन मानदण्डों पर मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय तत्संबंधी वर्ष की प्रारंभिक सकल स्थायी परिसम्पत्ति के आधार पर अनुज्ञेय किये जाएंगे।

34.6 विद्युत वितरण कंपनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों (A&G Expenses) के बारे में वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित आंकड़ों को आधार माना

गया है तथा थोक मूल्य सूचकांक (Wholsate Price Index) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) के भारित औसत (Weighted average) का अनुपात 60 : 40 मानकर, इनमें प्रतिवर्ष 7.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई है जिसके अनुसार नियंत्रण अवधि हेतु अनुज्ञेय राशियां प्राप्त की गई हैं।

34.7 छठे वेतन आयोग के कारण दिनांक 31.8.08 तक की अवधि हेतु बकाया राशि के भुगतान को सत्यापन के समय अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वास्तविक रूप से किये गये भुगतान से प्रचालन एवं संधारण व्ययों में इस हेतु सम्मिलित की गई राशि से तुलना की जाएगी तथा इनमें पाये गये किसी अंतर को परिशुद्ध किया जाएगा। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर के प्रकरण में इस मद में किसी भी राशि पर विचार नहीं किया गया है।

34.8 किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास प्रतिधारित रखे जाने की अनुमति दी जाएगी। किसी वर्ष में प्रचालन व संधारण व्ययों के निर्धारित लक्ष्य से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

34.9 प्रचालन एवं संधारण व्ययों हेतु मानदण्ड निम्नानुसार होंगे :

अ. मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) व्यय वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु 2.3 प्रतिशत की दर से तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु 2.3 प्रतिशत तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर हेतु 5 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय किये जाएंगे।

ब. कर्मचारी व्यय (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों की गणना अंकेक्षित तुलन–पत्रों (Balance sheets) के अनुसार पूर्व में उपगत किये गये वास्तविक व्ययों, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षण एवं बकाया राशि के भुगतान आदि के कारण व्ययों के आधार पर की गई है । मानदण्डीय व्ययों को निम्न तालिकाओं में दर्शाये अनुसार अनुज्ञेय किया जाएगाः

i. कर्मचारी व्यय, मंहगाई भत्ते, बकाया राशि, पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं को छोड़कर

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर
वित्तीय वर्ष 13–14	344	325	303	0.64
वित्तीय वर्ष 14–15	354	334	313	0.66

वित्तीय वर्ष 15–16	365	344	322	0.68

ii. बकाया राशि के विरूद्ध व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर
वित्तीय वर्ष 13–14	34.00	30.00	29.52	0.00
वित्तीय वर्ष 14–15	34.00	30.00	29.52	0.00
वित्तीय वर्ष 15–16*	14.17	10.00	12.30	0.00

* केवल पाँच माह हेतु

iii. प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर
वित्तीय वर्ष 13–14	112.78	92.71	85.14	1.37
वित्तीय वर्ष 14–15	121.73	100.07	91.89	1.48
वित्तीय वर्ष 15–16	131.38	108.00	99.18	1.60

35. डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts) :

35.1 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अंतर्गत, डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों को जिस सीमा तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में, अन्तिम अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पत्रों में वास्तविक रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, अनुज्ञेय किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें उपयुक्त समझा जाए, तथा सुसंबद्ध वर्ष हेतु इनका सत्यापन, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा तथा वार्षिक राजस्व राशि के एक प्रतिशत के अध्यधीन होगा।

36. कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital) :

36.1 कार्यकारी पूंजी की गणना इन विनियमों के उपबन्धों में किये गये प्रावधान के अनुसार की जाएगी तथा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की सुसंगत वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को प्रयोज्य आधार दर (Base Rate) में 3.50 प्रतिशत जोड़कर की समतुल्य दर पर की जाएगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय

होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा मानकीकृत आधार पर गणना की गई कार्यकारी पूंजीगत ऋण से अधिक ऋण कर लिया हो।

37. विदेश विनिमय दर परिवर्तन (Foreign Exchange Rate Variation) :

37.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी विदेश विनिमय की अनावृत्ति (exposure) को वितरण प्रणाली हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में समायोजन (hedge) एक अंश में अथवा पूर्ण रूप से, जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगा।

37.2 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेश विनिमय दर परिवर्तन का समायोजन, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब कि वह व्यय के रूप में उद्भूत होता है, करेगा तथा इस प्रकार के विदेश विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रूपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजित (hedged) किये गये विदेशी ऋण के विरूद्व अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

37.3 उक्त सीमा, जहां तक कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी विदेश विनिमय अनावृत्ति (exposure) का समायोजन करने में असमर्थ हो, रूपयों में भुगतान के दायित्व में किसी परिवर्तन हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण से सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी है, को अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते यह अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके सामग्री प्रदायकों अथवा ठेकेदारों के कारण न हो।

37.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी समायोजन (hedging) की लागत तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन के प्रभाव का समायोजन आय के रूप में उक्त अवधि के दौरान, जिस अवधि के अंतर्गत वह उद्भूत हो, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर इसे वसूल करेगा।

38. आय पर कर (Tax on Income)

38.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आय स्त्रोतों पर देय वास्तविक कर स्वीकार्य होगा :

बशर्ते यह कि दिनांक 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के विलम्बित कर दायित्वों, अतिरिक्त लाभों (Fringe Benefits) को छोड़कर, के क्रियान्वित होने पर ये विद्युत दर (टैरिफ) के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं से वसूली योग्य होंगे।

39. विद्युत–दर से आय (Tariff Income) :

39.1 आयोग द्वारा विद्युत के वितरण एवं प्रदाय हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से आय को विद्युत–दर (टैरिफ) आय माना जाएगा। विद्युत–दर (टैरिफ) आय में स्थाई प्रभार (Fixed charges), ऊर्जा प्रभार (Energy Charges), न्यूनतम प्रभार (Minimum Charges) तथा अन्य प्रभार सम्मिलित होंगे जैसे कि ये भिन्न–भिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं।

40. अन्य आय (Other Income) :

40.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, यथा संशोधित, के अन्तर्गत अन्य आय संबंधी अनुसूची, जैसा कि इसका प्रावधान विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, को 'अन्य आय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

40.2 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक, जिसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आय माना जाएगा।

41. विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge) :

41.1 यदि उपभोक्ताओं द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ताओं को विनिर्दिष्ट किये गये अधिभार का भुगतान करना होगा। विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से माह के किसी अंश को पूर्ण माह माना जाएगा। उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के स्थाई तौर पर विच्छेदन के उपरान्त की अवधि के अंतर्गत विलंबित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

41.2 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता व विद्युत–दर एवं अन्य आय के मध्य अंतर (Gap) के अवधारण हेतु, विलंबित भुगतान अधिभार को आय नहीं माना जाएगा।

41.3 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की श्रेणी हेतु विलंब भुगतान अधिभार की वसूली को माफ किया जा सकेगा, यदि ऐसा किया जाना राजस्व वसूली की वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक समझा जाए।

42. उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत–दरों (टैरिफ) का अवधारण (Determination of Tariff for Supply to consumers) :

42.1 आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूली योग्य प्रभारों का अवधारण निम्न सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा :

(ए) उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई विद्युत की औसत लागत तथा प्राक्कलित वितरण हानियों की वसूली ऊर्जा प्रभार के रूप में की जाएगी ;

(बी) अधिनियम की धारा 62(3) में उल्लेखित कारकों के आधार पर विद्युत चक्रण तथा प्रदाय गतिविधियों पर दक्षता से उपगत किये गये (incurred) व्यय उपभोक्ताओं से वसूली योग्य होंगे ;

(सी) यथासंभव, एक विशिष्ट वोल्टेज वर्ग के अन्तर्गत स्थाई प्रभार (Fixed Charges) तथा ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) एक समान होंगे। किसी विशिष्ट वोल्टेज वर्ग के अन्तर्गत प्रभारों का विभेदन, आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 62(3) में सूचीबद्ध कारकों के आधार पर किया जाएगा।

(डी) विद्युत–दर न्यूनतम (Tariff Minimum) : उपभोक्ताओं के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के टैरिफ न्यूनतम प्रभार, उपभोक्ताओं से ऐसे समय तक जब तक स्थाई प्रभार सम्पूर्ण स्थाई लागत की वसूली के साथ संरेखित नहीं कर दिये जाते, उपभोक्ताओं से वसूली योग्य होंगे।

(ई) भार–कारक प्रोत्साहन (Load Factor Incentive) : आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के आधार पर उपभोक्ताओं को विद्युत–दर में भार–कारक आधारित छूटें (concessions) अनुज्ञेय की जा सकेंगी।

(एफ) त्वरित भुगतान प्रोत्साहन (Prompt payment incentive) : त्वरित भुगतान किये जाने पर, उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकेगा जैसा कि आयोग द्वारा इसके संबंध में निर्णय लिया जाए। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान शेष है, उन्हें इस प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

(जी) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अधिभार (Power Factor Incentive/Surcharge) : आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अपने विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के अन्तर्गत अनुमोदित योजना के आधार पर विद्युत–दर (टैरिफ) में ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अधिभार उपभोक्ताओं को अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

(एच) अस्थाई संयोजन प्रभार (Temporary Connection Charges) : अस्थाई संयोजन प्रभार अधिरोपित किये जा सकेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा इनके बारे में निर्णय लिया जाए।

(आई) विद्युत प्रदाय विश्वसनीयता प्रभार (Supply Reliability Charge) : आयोग उपभोक्ताओं की उन श्रेणियों हेतु विद्युत प्रदाय विश्वसनीयता प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके लिए अबाधित (uninterruptible) विद्युत प्रदाय का प्रबन्धन किया जाता है।

(जे) मंहगी ऊर्जा की अधिप्राप्ति (procurement) के कारण अतिरिक्त प्रभारों का आरोपणः मंहगी ऊर्जा की अधिप्राप्ति किये जाने पर आयोग अतिरिक्त प्रभारों का निर्धारण किये जाने पर विचार कर सकेगा।

(के) ऊर्जा संरक्षण तथा मांग–परक प्रबन्धन (Demand Side Management) से देय प्रोत्साहनः आयोग ऊर्जा संरक्षण उपायों तथा मांग–परक प्रबन्धन हेतु प्रोत्साहनों का निर्धारण कर सकेगा।

(एल) वेल्डिंग अधिभार (Welding Surchage) : वे संस्थापनाएं, जिनमें वेल्डिंग मशीनों का भार विद्यमान है, के लिये आयोग वेल्डिंग अधिभार का निर्धारण कर सकेगा।

(एम) दिवस के समय (टीओडी) प्रोत्साहन/अधिभार : आयोग विद्युत ऊर्जा के दिवस के समय/मौसम के अन्तर्गत उपयोग हेतु निर्दिष्ट दिवस के समय (टाईम ऑफ डे) प्रोत्साहनों/अधिभार का निर्धारण कर सकेगा।

(एन) प्रतिक्रिय ऊर्जा प्रभार (Reactive Energy Charge) : वे संस्थापनाएं जो प्रतिक्रिय ऊर्जा का आहरण करती हैं उनके लिये आयोग प्रतिक्रिय ऊर्जा प्रभार का निर्धारण कर सकेगा।

(ओ) अन्य कोई प्रोत्साहन/अधिभार : आयोग अन्य किसी प्रोत्साहन/अधिभार का भी निर्धारण कर सकेगा।

43. प्रति–सहायतानुदान का अन्तरश्रेणी अन्तरण (Inter-category transfers of cross-subsidy):

43.1 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण की समग्र प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि युक्तियुक्त लागतों को समस्त उपभोक्ताओं को अन्तरित किया जाए। तथापि, प्रयोक्ताओं के समस्त समूहों को बिना किसी असहनीय टैरिफ प्रघात के वहनीय दर पर विद्युत प्रदान करने के सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। अतएव, टैरिफ नीति के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए वैयक्तिक श्रेणी हेतु विद्युत–दर का अवधारण करते समय प्रति–सहायतानुदान प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। विद्युत–दर अवधारण में उपभोक्ता श्रेणियों हेतु प्रति–सहायतानुदान दर्शाया जा सकता है तथा इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी जिससे टैरिफ नीति के उद्देश्यों की आपूर्ति हो सके।

44. विद्युत–दर श्रेणियों तथा उपभोक्ताओं को विद्युत दरों टैरिफ से अवगत कराया जाना (Tariff Categories and Intimation of Tariff Rates) :

44.1 आयोग, अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत, विद्युत–दर (टैरिफ) का निर्धारण करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूली योग्य प्रभारों का विस्तृत विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। टैरिफ अवधि हेतु, विनिर्दिष्ट वोल्टेज स्तरों पर उपभोक्ता श्रेणियां स्थूल रूप से, निम्नानुसार होंगी :

- भारी औद्योगिक उपयोग, रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन), कोयला खदानें, मौसमी (सीजनल) को सम्मिलित करते हुए

- गैर–औद्योगिक उपयोग
- घरेलू उपयोग
- गैर–घरेलू उपयोग
- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था/जल प्रदाय
- कृषि, सिंचाई तथा कृषि आधारित उद्योग
- लघु तथा मध्यम उद्योग हेतु औद्योगिक प्रेरक बल (मोटिव पावर)
- अन्य कोई, श्रेणियां जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाए।

44.2 आयोग, विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के किसी भी वर्ष में, उपरोक्त दर्शाई गई स्थूल श्रेणियों के अन्तर्गत उपयुक्त उप–श्रेणियां (Sub Categories)/खपत खण्डों (consumption Slabs)/भार खण्डों (Load Slabs) को निर्धारित कर सकेगा तथा पृथक–पृथक विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसी प्रत्येक उप–श्रेणी/ खपत खण्ड/ भार खण्डों बाबत् निर्धारित कर सकेगा।

44.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रभारों के विवरण प्रत्येक विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के उपरांत उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु प्रकाशित करने होंगे।

अध्याय – तीन
विविध

45. स्वच्छ विकास कार्य विधि लाभ (CDM Benefits) :

45.1 अनुमोदित स्वच्छ विकास कार्यविधि (Clean Development Mechanism - CDM) के कार्बन आकलन (Carbon Credit) से प्राप्तियों का परस्पर बंटवारा निम्न विधि द्वारा किया जाएगा, नामतः

(अ) स्वच्छ विकास कार्यविधि के कारण सकल प्राप्तियों की 100 प्रतिशत राशि परियोजना के विकासक (Developer) द्वारा वितरण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं द्वारा धारित रखी जाएगी।

(ब) द्वितीय वर्ष में, उपभोक्ताओं का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से अभिवृद्धि की जाएगी, जिसे 50 प्रतिशत तक पहुंचने के उपरान्त, प्राप्तियों का बंटवारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ताओं द्वारा समान अनुपात में किया जाएगा ।

46. मानदण्डों से विचलन (Deviations from Norms) :

46.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली वितरण विद्युत–दर (टैरिफ) को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन द्वारा भी अवधारित किया जा सकेगा।

47. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति (Power Toremore difficulties) :

47.1 यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा उत्तरदायित्व संभालने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हैं।

48. संशोधन हेतु शक्ति (Power of Amend) :

48.1 आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबन्धों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा।

49. निरसन तथा व्यावृति (Repeal and Savings) :

49.1 विनियम नामतः ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 (जी–35, वर्ष 2009)'' जो राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक 2734/मप्रविनिआ/2009 दिनांक 9.12.2009 द्वारा अधिसूचित तथा राजपत्र में दिनांक

22.01.2010 को प्रकाशित की गई है तथा संशोधनों के साथ सहपठित हैं जैसा कि यह इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

49.2 उपरोक्त दर्शाए गये विनियमों की निर्दिष्ट अवधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के सत्यापन तथा विद्युत दर (टैरिफ) से संबंधित अन्य विषयों को कथित विनियमों के उपबंधों के अनुसार व्यवहारित किया जाएगा।

49.3 इस विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

49.4 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

49.5 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के आधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव